भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2349

सोमवार, 13 दिसम्बर, 2021/22 अग्रहायण, 1943(शक)

घरेलू कामगारों के संबंध में अखिल भारतीय सर्वेक्षण

2349. श्री डी.के. सुरेश:
श्री रवि किशन:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री थोमस चाजिकाडन:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री सुब्रत पाठक:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री मनोज तिवारी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में घरेलू कामगारों/प्रवासी कामगारों के संबंध में एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण करने और ऐसे कामगारों का डेटा एकत्र करने के लिए फील्डवर्क शुरू किया है/शुरू करने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है तथा उक्त सर्वेक्षण में किस प्रकार की घरेलू सेवाओं/सहायकों को शामिल किए जाने की संभावना है;

(ग) सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्रीय/राज्य-स्तर पर कितने अनुमानित घरेलू कामगार/प्रवासी कामगार हैं और घरेलू कामगारों की मजदूरी कितनी है;

(घ) गैर मान्यता प्राप्त क्षेत्र में कार्यरत घरेलू कामगारों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि घरेलू कामगार/सहायक कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं और उनमें से अधिकांश ने महामारी के दौरान अपनी नौकरी खो दी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन श्रम ब्यूरो ने घरेलू कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के लिए फील्डवर्क आरंभ किया है। यह सर्वेक्षण, निर्देश मैनुअल और शेड्यूल जारी करने के साथ-साथ 22 नवंबर 2021 को शुरू किया गया।

श्रम ब्यूरो ने दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को प्रवासी कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण भी शुरू किया, जिसका उद्देश्य प्रवासी कामगारों एवं उनके काम पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर मूलभूत मात्रात्मक सूचना प्राप्त करना है।

घरेलू कामगारों (डीडब्ल्यू) पर सर्वेक्षण के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

(i) राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर घरेलू कामगारों की संख्या/अनुपात का अनुमान लगाना।
(ii) घरेलू कामगारों के अनुमानों का प्रतिशत वितरण: लिव-इन/लिव-आउट; औपचारिक/अनौपचारिक रोजगार; प्रवासी/गैर-प्रवासी; उनकी मजदूरी और अन्य सामाजिक-आर्थिक विशेषताएं।
(iii) लिव-इन/लाइव-आउट घरेलू कामगारों के परिवार का अनुमान।
(iv) विभिन्न प्रकार के परिवारों द्वारा नियोजित घरेलू कामगारों की औसत संख्या।

(घ) से (च): असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008, जिसे अब सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में समाहित किया गया है, में घरेलू कामगारों सहित सभी असंगठित कामगारों की सामाजिक सुरक्षा का उपबंध किया गया है। सरकार ने जीवन और नि:शक्तता कवर के लिए प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) जैसी केन्द्रीय क्षेत्रक योजनाएं और घरेलू कामगारों सहित असंगठित कामगारों के पेंशन हेतु प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना (पीएम-एसवाईएम) आरंभ की है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत घरेलू कामगार क्षेत्र कौशल परिषद (डीडब्ल्यूएसएससी) घरेलू कामगारों को विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान कर रहा है। आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) में सामाजिक-आर्थिक जातीय जनगणना आंकड़े, 2011 के अनुसार पात्र लाभार्थियों के रूप में कवर किए गए घरेलू कामगारों सहित सभी असंगठित कामगारों के लिए द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। श्रम संहिताएं अर्थात मजदूरी संहिता, 2019 और व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कार्य दशाएं संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में घरेलू कामगारों सहित कामगारों की सभी श्रेणियों के लिए मर्यादित कार्य दशाएं, न्यूनतम मजदूरी, व्यावसायिक सुरक्षा, शिकायत निवारण तंत्र और सामाजिक सुरक्षा के उपबंध किए गए हैं।

इसके अलावा, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों का आधार सहबद्ध राष्ट्रीय डेटाबेस, ई-श्रम पोर्टल विकसित किया है। इसे दिनांक 26.08.2021 को आरंभ किया गया और इसे असंगठित कामगारों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने हेतु राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को उपलब्ध कराया गया है। दिनांक 03 दिसम्बर, 2021 की स्थिति के अनुसार, 10.33 करोड़ असंगठित कामगार पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं।

****